

request-91

6-5-06

6327

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एफटीसी-3 फिरोजाबाद।

Serial No. IV/2915
24

9-5-06

सेवा में,

श्री पी०सी० श्रीवास्तव
डिप्टी रजिस्टार
मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

9-5-06

द्वारा:

जिला जज
फिरोजाबाद।

विषय:

एस०टी० सं०-665/2002 राज्य बनाम राजीव गुप्ता धारा
363, 366, 376 भा० द० सं० धाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद
में साक्षी के सम में श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जज जू०डि०
आजमगढ़ को तलब करने के सम्बन्ध में-

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में ससम्मान अवगत कराना है

कि इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षा वाद उपरोक्त में श्री बसन्त
कुमार जाटव को मान्नीय उच्च न्यायालय के माध्यम से साक्षी के
सम में तलब करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में
मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक /IV-2915/एडमिन.
१९-1१/दनांकित 22-3-2006 इलाहाबाद प्राप्त हो चुका है।

आख्या मान्नीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सादर।

भवदीय

अशोक कुमार सिंह
Addl. Dist. & Session's Judge
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एफटीसी-3 फिरोजाबाद।

दिनांक 12-4-2006

D.RCM)

The necessary
summons has been
served upon Seni Basant
Kumar Jataw, civil Judge
(J.D.) Azamgarh hence
no action is called for.
may file?

10/5/06

File
Lorwallava
15/05/06

10/5/06
15/10/06

(158)

Request - 91

URGENT
Registered

To

The District-Judge,
Ferozabad

22

No. 2586 / IV-2915-Admin (A-1) Dated 24.3.06
Subject: - Regarding adducing evidence by
Sri Basant Kumar Jatar, Civil Judge,
(Junior-Division) Azamgarh before
the Court of Sri Ashok Kumar Singh
Add. Sess. Judge, (F.T.C.-3) Ferozabad,
on 10-3-2006 in connection with
S.T. No. 656/2002 State Vs. Rajeev
Gupta U/S 363, 366, 376 I.P.C. P.S.
South Distt Ferozabad.

D.R.(M)

Sir,

May issue
with the
approval
of Registrar
(B) /
Thakur

With reference to your endorsement
No. 20 / XV-06 dated 06-3-06 forwarding
therewith letter dated 03-3-06 of Sri Ashok
Kumar Singh, Add. Sess. Judge (F.T.C.) Ferozabad
on the above subject, I am directed
09-3-06 to action herewith the summons
and to say that under the
provisions contained in appendix-F
of General Rules (Criminal) summons
in criminal cases can be served
upon the Civil Judge (Senior-Division)
or Civil Judge (Junior-Division)
through their District-Judges.

Thakur
09-3-06
05/3/06

Registrar (B)

May kindly
approve?
20/03/06
D.R.(M)
10/03/06
10/03/06
10/03/06

Sri Basant Kumar Jataw is posted as
Civil Judge, (Junior Division) Azamgarh
and as such summons may be served
upon him through the District
Judge, Azamgarh, in accordance with above
provisions.

I am, therefore to request
you kindly to ask Sri Ashok Kumar
Singh, Addl. Sess. Judge, (F.T.C.) to send
the summons to the District Judge,
Azamgarh for service upon Sri
Basant Kumar Jataw, through the
District Judge, Azamgarh.

Encl: - ^{kindly acknowledge stamp}
As above

Yours faithfully
Zorawala

23
No. 3587 /D-2915-Adm(A-1) Dated 24.3.06
Deputy Registrar
Copy forwarded for information
and necessary action to :-

- 1- The District Judge, Azamgarh.
- 2- Sri Ashok Kumar Singh, Addl.
Sess. Judge, (F.T.C.) Ferozabad,
with reference to his letter
dated 03-3-06.

Zorawala
Deputy Registrar

3
9-3-06

Request-91

3/21-3-06
7-3-06

Reg. No.	3291
File No.	IV/2915
Serial	21
Date	9-3-06

प्रेम्क,

अशोक कुमार सिंह,

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-3

फिरोजाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा: जिला जज,

फिरोजाबाद।

विषय: एस0टी0 सं0- 656/2002 बनाम राजीव गुप्ता धारा 363, 366, 376 भा0 व0 सं0 थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद में तत्कालीन सिविल जज जू0डि0 फिरोजाबाद श्री बसन्त कुमार को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के निर्देश देने के सम्बन्ध में-

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त

उल्लिखित सत्र परीक्षा लम्बित है जिसमें अभियोजन साक्ष्य पूरा

हो चुका है। मामले की पीड़िता कुमारी सुनीता मृत्यु हो जाने

के कारण न्यायालय में परीक्षित नहीं हो पाई है। पीड़िता का

बयान श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जज जू0डि0 फिरोजाबाद

द्वारा जनपद फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान अंकित किया गया है।

ऐसी दशा में जब कि पीड़िता का साक्ष्य इस सत्र परीक्षा वाद में

मृत्यु हो जाने की वजह से नहीं हो पाया है तो उसका बयान

धारा 164 व0 प्र0 सं0 प्रमाणित होना आवश्यक है। श्री बसन्त कुमार

जाटव सिविल जज जू0डि0 आजमगढ़ को, जिन्होंने पीड़िता का

बयान धारा 164 व0 प्र0 सं0 अंकित किया था को माननीय जिला जज

आजमगढ़ के माध्यम से जाहूत किया गया परन्तु जनपद न्यायाधीश

आजमगढ़ का पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री जाटव को जरिये माननीय

न्यायालय तलब किया जाये।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एस0टी0 सं0-656/2002

राज्य बनाम राजीव गुप्ता आदि धारा 363, 366, 376 भा0 व0 सं0 थाना

.....पेज 2

Prozabod Judgement
No. 301 Dt. 6-3-06
Forwarded

District Judge

S.O Admn(H/A 2)

9-9 MAR 2006

Urgent
sent at 2:45 PM

09/3/06

Encl-①

जिला फ़िरोजाबाद में साक्ष्य हेतु श्री बसन्त कुमार जाटव
सिविल जज ॥ ७०१३०॥ आजमगढ़ के न्यायालय में दिनांक 18-3-06
को उपस्थित होने का निर्देश देने की कृपा करें।

सादर।

भारतीय,
॥ अशोक कुमार सिंह ॥ 23-3-2006

दिनांक 3-3-2006

अपर सत्र न्यायाधीश ॥ एफटीसी-3 ॥
फ़िरोजाबाद।

संलग्नक-

1- इस न्यायालय द्वारा जिला जज आजमगढ़ को भेजे गये पत्र, स्मृत
पत्र की छाया प्रति

2-माननीय जिला जज आजमगढ़ द्वारा इस न्यायालय को सम्बोधित
पत्र दिनांक 23-2-2006 की छाया प्रति

3-श्री बसन्त कुमार जाटव सिविल जज ॥ ७०१३०॥ आजमगढ़ के समन्स

स्मृति-पत्र

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-3,
फिरोजाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

विषय: एस0टी0 सं0- 656/2002 बनाम राजीव गुप्ता धारा 363, 366, 376
भा0द0सं0 थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद में तत्कालीन सिविल
जज जू0डी0 फिरोजाबाद श्री बसन्त कुमार को न्यायालय में साक्ष्य
हेतु उपस्थित होने के निर्देश देने के सम्बन्ध में-

महोदय,

उपरोक्त विषयक केस इस न्यायालय में लिम्बत है जिसमें
अभियोजन साक्ष्य पूरी हो चुकी है। मामले की पीड़िता कुमारी
सुनीता का बयान उसकी मृत्यु हो जाने के कारण नहीं हो पाया
है। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164द0प्र0सं0 श्री बसन्त कुमार
द्वारा अर्पित किया गया है। ऐसी क्रांति में जबकि पीड़िता कुमारी
सुनीता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी साक्ष्य नहीं हो पाई है तो
उसका बयान धारा 164द0प्र0सं0 का प्रमाणित होना आवश्यक है।
माननीय महोदय को दिनांक 3-2-2006 एवं दिनांक 10-2-2006
को श्री बसन्त कुमार को न्यायालय में उपस्थित करने हेतु समन संलग्न
कर साक्ष्य हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु
श्री बसन्त कुमार पर समन की तामीला व्यक्तिगत रूप से है, परन्तु
वह न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे बाध की
कार्यवाही अनावश्यक रूप से लिम्बत हो रही है।

अतः इस स्मृति-पत्र के माध्यम से माननीय महोदय से अनुरोध
है कि अपने अधीनस्थ श्री बसन्त कुमार सिविल जज जू0डी0 को
निर्देश देने की कृपा करें कि वह मामले में नियत तिथि 3-3-06
को उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सादर।

भवदीय,
अशोक कुमार सिंह

दिनांक 21-2-2006

संलग्नक- समन श्री बसन्त कुमार सं0एस0जे0 एफटीसी-3 फिरोजाबाद।
सिविल जज जू0डी0 आजमगढ़।

प्रेम्क,

जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-3, फिरोजाबाद।

पत्रांक: 184 प्रथम,

दिनांक: फरवरी 23, 2006ई0

विषय:-


एस0टी0सं0 656/2002, अन्तर्गत धारा 363, 366, 386
भा0द0सं0 थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में तत्कालीन
सिविल जज॥अवर खण्ड॥ फिरोजाबाद श्री बसन्त कुमार जाटव
को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 10.02.2006 के द्वारा
उपरोक्त सत्र परीक्षा में श्री बसन्त कुमार जाटव, सिविल-जज॥अवर खण्ड॥,
आजमगढ़ को साक्ष्य हेतु प्राप्त सम्मन को मूलरूप से इस आशय के साथ वापस
किया जा रहा है कि उपरोक्त पीठासीन अधिकारी को साक्ष्य हेतु सम्मन
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से भेजने का कष्ट करें, जिससे
श्री जाटव को उक्त सत्र परीक्षा में साक्ष्य देने हेतु निर्देशित किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


॥ विमल किशोर ॥

जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

Request - 01

S.T. 656/02

राज्य / राजीव गुप्ताभाषी

एच० सी० जे० प्रपत्र संख्या 13, भाग VIII

U/C 363/366 13683

साक्षी को सम्मन

(धारायें 68 व 252, अनुसूची 5 प्ररूप 3)

न्यायालय

Addl. Dist. & Session Judge

Track Court (No. 2)

FIROZABAD

जाति

व्यावसाय

निवासी

भाषा

के नाम।

चूँकि हमारे समक्ष परिवार किया गया है कि निवासी

श्री बसन्त कुमार के द्वारा (1) सिविल जज (कॉर्ट ऑफ़ ऑर्डर) ता. 05.06.18.3.06

जनपद और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह सम्भव है कि जाँच किये जाने का सन्देह है।

आजम ग... अयोग्यता की ओर साकार साक्ष्य दे सकते हैं;

साक्ष्य दे लें

अतएव एतद्द्वारा आपको आहूत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष अगले 3 मास के 10 दिवस को

200... 10 बजे दिन को उक्त परिवार के विषय के सम्युक्त आप जो कुछ जानते हों उसके सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होंगे और आपको एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि यदि आपने न्याय प्रति हेतु के बिना उस दिनांक पर उपस्थित होने की उपेक्षा की या उपस्थित होना अस्वीकार किया तो आपकी उपस्थिति बाध्य कराने के लिये प्रग्रहण अधिपत्र निकाला जायेगा।

आज सन् 192008 के मार्च 3 दिवस को स्व-हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

सिवासे श्रीमान् महाशय न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

हस्ताक्षर

न्यायालय की मुद्रा

Addl. Distt. & Session's Judge मैजिस्ट्रेट (East Track COURT NO-3) FIROZABAD (U. P.) (क० प० प०)

